कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून** के माह **09/2015** से **06/2017** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक **18.07.2017** से **26.07.2017** तक श्री **प्रेमचन्द**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस.के.सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.09.2015 से 18.09.2015 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2014 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **देहरादून**

(ii) (अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	13993.49	13949.96	1078.41	1071.26	-	-
2015-16	-	-	14421.70	14235.55	1104.66	945.83	-	-
2016-17 (6/17)	-	-	24563.29	2421.56	1486.50	1250.12	-	-

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii)इकाई को बजट आवंटन(स्रोत-राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून 'ए' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, (ना0पुं0 एवं सा0पु0) उपनिरीक्षक (ना0पु0,सा0पु0, एम0), सहा0 उप-निरीक्षक(ना0पु0,सा0पु0.एम0), हे0का0, कान्स0 एवं चतुर्थ श्रेणी।

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेधन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

<u>प्रस्तरः1-</u> मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 36.39 लाख की धनराशि कम वसूल किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 ix-1/81/2015/2016 दिनांक 9 अगस्त 2016 के बिन्दु 2 के धारा 179 (i) अनुसार विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करने पर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधो पर रू 500 वाहन स्वामी से प्रशमन कर सकेगें का प्रावधना है। लेकिन ऐसा न कर निम्न थाना के प्रभारी एवं उप निरीक्षकों द्वारा रू 500 के स्थान पर 100 प्रति वाहन वसूल लिया गया है। जिसके कारण की धनराशि रू 27.46 लाख कम वसूल किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	थाना का नाम	अवधि	धारा सं.	चालान किये गये वाहनों की संख्या	वसूल की गई धनराशि	एम वी एक्ट के अनुसार वसूल का जाना था	रू 400 कम वसूल की गई धनराशि
1.	कोतावली नगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	344	100	500	137600
2.	डालनवाला	11/8/16 से 06/17	179(i)	383	100	500	153200
3.	विकास नगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	725	100	500	290000
4.	राजपुर	11/8/16 से 06/17	179(i)	347	100	500	138800

5.	क्लेमनटाउन	11/8/16 से 06/17	179(i)	1405	100	500	562000
6.	प्रेमनगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	262	100	500	104800
7.	नेहरू कलोनी	11/8/16 से 06/17	179(i)	802	100	500	320800
8.	रायपुर	11/8/16 से 06/17	179(i)	933	100	500	373200
9.	रायवाला	11/8/16 से 06/17	179(i)	168	100	500	67200
10.	मसूरी	11/8/16 से 06/17	179(i)	110	100	500	44000
11	पटेलनगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	1064	100	500	425600
12.	काल्सी	11/8/16 से 06/17	179(i)	25	100	500	10000
13.	बसन्त विहार	11/8/16 से 06/17	179(i)	164	100	500	65600
14	कैन्ट	11/8/16 से 06/17	179(i)	739	100	500	295600
15.	सहसपुर	11/8/16 से 06/17	179(i)	272	100	500	108800
16	त्यूनी	11/8/16 से 06/17	179(i)	33	100	500	13200
17	डोईवाला	11/8/16 से 06/17	179(i)	321	100	500	128400
18.	चकराता	01/2017 से 06/2017	179(i)	17	100	500	6800
19	रानीपोखरी	11/08/16 से 06/2017	179(i)	274	100	500	98800
20.	ऋषिकेश	11/08/16 से 06/2017	179(i)	734	100	400	294800
							3639200

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण शासनादेश में दिये गये धारा 179(i) के अनुसार धनराशि नही वसूल न किया गया है। जिस कारण कम राजस्व वसूल किया गया है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 36.39 लाख की धनराशि कम वसूल किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालयः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून

चालान किये गये वाहन/ स्वामियों से कम वसूली की गई धनराशि का विवरण

क्र.सं.	थाना का नाम	अवधि	धारा सं.	चालान किये गये वाहनों की संख्या	वसूल की गई धनराशि	एम वी एक्ट के अनुसार वसूल का जाना था	रू 400 कम वसूल की गई धनराशि
1.	कोतावली नगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	344	100	500	137600
2.	डालनवाला	11/8/16 से 06/17	179(i)	383	100	500	153200
3.	विकास नगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	725	100	500	290000

4.	राजपुर	11/8/16 से 06/17	179(i)	347	100	500	138800
5.	क्लेमनटाउन	11/8/16 से 06/17	179(i)	1405	100	500	562000
6.	प्रेमनगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	262	100	500	104800
7.	नेहरू कलोनी	11/8/16 से 06/17	179(i)	802	100	500	320800
8.	रायपुर	11/8/16 से 06/17	179(i)	933	100	500	373200
9.	रायवाला	11/8/16 से 06/17	179(i)	168	100	500	67200
10.	मसूरी	11/8/16 से 06/17	179(i)	110	100	500	44000
11	पटेलनगर	11/8/16 से 06/17	179(i)	1064	100	500	425600
12.	काल्सी	11/8/16 से 06/17	179(i)	25	100	500	10000
13.	बसन्त विहार	11/8/16 से 06/17	179(i)	164	100	500	65600
14	कैन्ट	11/8/16 से 06/17	179(i)	739	100	500	295600
15.	सहसपुर	11/8/16 से 06/17	179(i)	272	100	500	108800
16	त्यूनी	11/8/16 से 06/17	179(i)	33	100	500	13200
17	डोईवाला	11/8/16 से 06/17	179(i)	321	100	500	128400
18.	चकराता	01/2017 से 06/2017	179(i)	17	100	500	6800
19	रानीपोखरी	11/08/16 से 06/2017	179(i)	274	100	500	98800
20.	ऋषिकेश	11/08/16 से 06/2017	179(i)	734	100	400	294800
							3639200

भाग दो 'ब'

<u>प्रस्तरः2-</u> पुलिस यातायात एवं चारधाम यात्रा पर रू 16 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र डीजी-तीन-गोष्ठी/2017 दिनांक 18 जनवरी 2017 को पुलिस यातायात के सुदृढीकरण हेतु रू 10 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष रू 10.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दिया गया था।

उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून के पत्र संख्या डीजी-छ-840/2017 दिनांक 09 अप्रैल 2017 को रू 6 लाख की धनराशि चार धाम यात्रा व्यवस्था पर व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई।

कार्यालय के यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि यातायात के सुदृढीकरण एवं चारधाम यात्रा व्यवस्था हेतु सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर रू 10 लाख में से रू 10 लाख मार्च 2017 में विभिन्न यातायात सामग्री एवं रू 6 लाख चारधाम यात्रा व्यवस्था पर का क्रय कर लिया गया है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के प्रस्तर 12 (1) के अनुसार रू 3 लाख से रू 60 लाख तक की सामग्री का क्रय सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाकर क्रय किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वार इंगित किये जाने विभाग ने उत्तर में कहा है कि सभी सामाग्रियाँ अलग अलग फर्म की है। इन सामाग्री का मूल्य 3 लाख से कम है, इसलिए कोटेशन के आधार पर क्रय किया गया है। उत्तर मान्य नही है, क्योंकि निविदा से बचने के लिए कोटेशन के आधार पर टुकड़े- टुकड़े में यातायात व्यवस्था व चारधाम यात्रा में विभिन्न सामाग्रियों की क्रय की गई है।

अतः पुलिस यातायात व्यवस्था व चारधाम यात्रा पर रू 16 लाख का अनियमित व्यय किया जाने का प्रस्ताव विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

<u>प्रस्तरः3-</u> विभाग को संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व के प्रति उदासीनता का प्रकरण।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून, दिनांकः जून 24,2016 के पत्र संख्या-डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर संयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं संयोजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि- प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/ तिमाही में ऑडिट कराया जाये। तथा अपर पुलिश अधीक्षक/प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को दी जायें। समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जमा की गयी संयोजन शुल्क धनराशि की छः माह की सूचना पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करे।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण एवं वापसी पंजिका की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 93- संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं(परिशिष्ट-अ) का वितरण जनपद के विभिन्न थानों एवं यातायात-शाखा को किया गया था, परन्तु लगभग दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी संदर्भित थानों से उक्त पुस्तिकाए जपनद कार्यालय में उपलब्ध नही करवायी गयी थी।

इसी प्रकार संदर्भित पंजिका में यह भी पाया गया कि पंजिका में मासिक सार नही बनाया गया था न किसी भी पृष्ठ पर कार्यालय द्वारा जनपद के थानो से पुरानी पुस्तिकाओं की वापसी की विवरण-मय लेखाबन्दी एवं पंजिका का स्तम्भबद्ध ढंग रख-रखाव किया गया था, तथा प्रश्नगत पंजिका को सक्षम अधिकारी द्वारा भी लेखापरीक्षा तिथि तक सत्यापित नहीं करवाया गया था। जिसके परिणामस्वरुप 93- संयोजन शुल्क पंजिका विगत दो वर्षों से अधिकत समय से जनपद के थानों में वापसी हेतु लम्बित थी। जबकि जनपद कार्यालय से थानों को पुरानी संयोजन पुस्तिकाओ प्राप्त किये बिना ही नई पुस्तिकाए निरन्तर जारी की गयी थी।

पुनः संयोजन शुल्क से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यालय में संयोजन शुल्क को अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक स्तरीय त्रैमासिक सम्प्रेक्षा नहीं कराया गया था और न ही सम्प्रेक्षम की विस्तृत विवरण जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गया था, न कार्यालय में त्रैमासिक विस्तृत रख-रखाव किया जा रहा था, तथा न ही संयोजन शुल्क की छमाही रिपोर्ट का रख-रखाव किया जा रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून संयोजन शुल्क के प्रति विशेष ध्यान नही दिया जा रहा था तथा मुख्यालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित नही किया जा रहा था। जबकि पुलिस विभाग में संयोजन शुल्क/चालान से प्राप्ति राजस्व का मुख्य स्त्रोत माना जाता है।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा। विभाग के उत्तर से राजस्व प्राप्त के प्रति विभागीय लापरवाई स्पष्ट होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

परिशिष्ट- 'अ'

वापसी न हुई संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं का विवरणः वित्तीय वर्ष 2015-16				
क्र.स.	संयोजन शुल्क वितरण पंजिका का पृष्ठ संख्या	संयोजन शुल्क पंजिका संख्या।	थानों का नाम(जिसको पुस्तिका जारी की गयी है)	तिथि (जिस तिथि को प्राप्तकर्ता ने पुस्तिका प्राप्त की है)
1	7	722551	यातायात	13.07.2015
2	35	160	जी0आर0पी0 देहरादून	02.04.2014

3	46	983		
4	47	958		
5	48	1021	यातायात	08.04.2014
6	49	1032	यातायात	08.04.2014
7	50	1051	यातायात	08.04.2014
8	50	1060	यातायात	08.04.2014
9	51	1066	यातायात	08.04.2014
10	51	1080	यातायात	08.04.2014
11	52	1091	यातायात	08.04.2014
12	54	1138	प्रभारी निरीक्षक थाना मसूरी	10.09.2014
13	56	1174	यातायात	03.05.2014
14	58	1193	यातायात	03.05.2014
15	59	1942	यातायात	03.05.2014
16	60	1961	यातायात	03.05.2014
17	65	2068	थाना रायपुर	16.05.2014
18	66	2081	थाना कालसी	22.05.2014
19	77	3446	थाना राजपुर	तिथि अंकित नहीं
20	78	3449	थाना नेहरू कॉलोनी	05.06.2014
21	81	3496	यातायात	17.05.2014
22	84	3528	थाना रायपुर	18.06.2014
23	109	4923	थाना डोईवाला	26.08.2014
24	112	4975	यातायात	10.09.2014
25	114	5019	थाना पटेल नगर	11.09.2014
26	159	7877	थाना कोतवाली नगर	तिथि अंकित नहीं
27	165	8021	यातायात	31.01.2015
28	175	8218	थाना मसूरी	21.02.2015
29	187	8479	यातायात	तिथि अंकित नहीं
30	196	109058	यातायात	15.04.2015
31	203	11107	थाना विकास नगर	27.04.2015
32	204	11139	यातायात	02.05.2015
33	209	11228	थाना पटेल नगर	तिथि अंकित नहीं
34	209	11232	थाना पटेल नगर	तिथि अंकित नहीं
35	209	11234	थाना पटेल नगर	02.05.2015
36	210	11262	क्षेत्राधिकारी सदर	08.05.2015
37	210	11263	क्षेत्राधिकारी सदर	08.05.2015
38	210	11264	क्षेत्राधिकारी सदर	08.05.2015
39	210	11265	क्षेत्राधिकारी सदर	08.05.2015
40	211	11273	थाना	तिथि अंकित नहीं
41	219	11439	थाना	22.05.2015
42	222	11497	थाना पटेल नगर	03.06.2015
43	226	29401	यातायात	04.06.2015
44	227	30501	यातायात	04.06.2015
45	230	033951	यातायात	19.06.2015
46	235	38251	यातायात	29.06.2015
47	239	46301	थाना नेहरू कॉलोनी	02.0.7.2015
48	247	66251	यातायात	07.09.2015
49	248	67051	यातायात	06.09.2015

50	250	67201	यातायात	06.09.2015
51	250	67601	यातायात	06.09.2015
52	255	45501	सी0ओ0 सदर	08.09.2015
53	255	44551	सी0ओ0 सदर	08.09.2015
54	255	45601	सी0ओ0 सदर	08.09.2015
55	258	742451	थाना विकास नगर	30.09.2015
56	259	742551	कोतवाली विकास नगर	तिथि अंकित नहीं
57	259	742951	कोतवाली विकास नगर	तिथि अंकित नहीं
58	264	748551	यातायात	15.10.2015
59	265	749001	यातायात	15.10.2015
60	265	749051	यातायात	15.10.2015
61	271	60001	कोतवाली नगर	तिथि अंकित नहीं
62	272	60151	कोतवाली	31.10.2015
63	273	61151	यातायात	31.10.2015
64	277	81521	यातायात	तिथि अंकित नहीं
65	277	81651	यातायात	तिथि अंकित नहीं
66	278	81801	यातायात	26.11.2015
67	281	87251	थाना राजपुर	04.12.2015
68	283	089451	थाना पटेल नगर	09.12.2015
69	291	99551	यातायात	19.12.2015
70	299	110901	यातायात	तिथि अंकित नहीं
71	299	110951	यातायात	तिथि अंकित नहीं
72	302	113801	थाना विकास नगर	तिथि अंकित नहीं
73	302	113851	थाना विकास नगर	तिथि अंकित नहीं
74	309	121751	थाना नेहरू कॉलोनी	15.01.2016
75	312	126901	थाना सहसपुर	21.01.2016
76	313	127401	थाना विकासनगर	21.01.2016
77	318	133751	यातायात	01.02.2016
78	318	133951	यातायात	01.02.2016
79	319	135101	यातायात	01.02.2016
80	325	143801	थाना विकास नगर	तिथि अंकित नहीं
81	325	143851	थाना विकास नगर	तिथि अंकित नहीं
82	325	143901	थाना विकास नगर	तिथि अंकित नहीं
83	325	144051	थाना विकास नगर	17.02.2016
84	325	144101	थाना विकास नगर	17.02.2016
85	325	144151	थाना विकास नगर	17.02.2016
86	325	144201	थाना विकास नगर	17.02.2016
87	329	148351	थाना डालनवाला	27.02.2016
88	331	150601	थाना राजपुर	05.03.2016
89	331	150951	थाना राजपुर	05.03.2016
90	332	151251	थाना विकासनगर	09.03.2016
91	332	151301	थाना विकासनगर	09.03.2016
92	332	151351	थाना विकासनगर	09.03.2016
93	334	154701	यातायात	15.03.2016

भाग दो 'ब'

<u>प्रस्तर:4-</u> जनपद के 14-थानों पर पड़े 199-लॉवारिस वाहनों की विधिवत नीलामी न किये जाने का प्रकरण।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के अधीन जनपद के समस्त थानों के अभिलेखों एवं थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचीओं के अवलोकन में पाया गया कि जनपद के 14-थानों में विगत की वर्षों से 199-वाहन लावारिस के रूप में पड़े है, जिसका थानेवार विवरम निम्नवत है-

क्र.सं.	थाने का ना	लावारिस वाहनों की संख्या	समयवधि लगभग
1.	कैन्ट देहरादून	19	3 वर्ष से 5 माह तक
2.	क्लेमेन्टाउन	16	4 वर्ष से 3 माह तक
3.	राजपुर	02	1 वर्ष से 3 माह तक
4.	कोतवाली ऋषिकेश	09	1 वर्ष से 5 माह तक
5.	डालनवाला	05	2 वर्ष से 3 माह तक
6.	रायपुर	09	04 वर्ष से 10 माह तक
7.	कोतवाली विकासनगर	05	5 वर्ष से 2 माह तक
8.	नेहरू कॉलोनी	14	4 वर्ष से 6 माह तक
9.	रायवाला	06	3 वर्ष से 4 माह तक
10.	रानीपोखरी	02	1 वर्ष से
11.	कोतवाली नगर देहरादून	72	4 वर्ष से 3 माह तक
12.	कालसी	03	13 वर्ष से 9 माह तक
13.	पटेलनगर	14	3 वर्ष से 2 माह तक
14.	बंसत विहार	23	05 वर्ष से 2 माह तक
योग		199	

उपरोक्त 199- वाहन जनपद के संदर्भित थानों में लावारिस के रूप में पड़े है, जबकि विभाग को उक्त वाहने के सम्बंध में उच्चित कार्यावाही करने के बाद लावारिस वाहनों की नीलामी करनी चाहिए थी। विभाग द्वारा नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरुप जनपद के कई थानों में विगत कई वर्षों से उक्त वाहन थानों पर लावारिस पड़ें है, जिसकी दिन-प्रतिदिन नीलामी की न्यूनतम मूल्य दरें भी कम –ह्रास हो रही है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब

<u>प्रस्तर:5-</u> स्वीकृत नियतन से अधिक अधिकारी/ कर्मचारियों का कार्यरत रहने का प्रकरण।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 303- अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत नियतन के सापेक्ष अधिक कार्यरत/उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्धता	अधिकता

		नियतन		
1.	कान्स(एम)	01	06	05
2.	निरीक्षक ना0पु0	15	19	04
3.	महिला निरीक्षक ना0पु0	00	03	03
4.	महिला उपनिरीक्षक, ना0पु0	01	24	23
5.	महिला कान्स0, ना0पु0 यातायात	113	250	137
6.	यातायात निरीक्षक	03	04	01
7.	हे0का0, सा0पु0	99	114	15
8.	हे0का0 यातायात	12	16	04
9.	कान्स0 बिगुलर	04	05	01
10.	कान्स0 सा0पु0	356	432	76
11.	कान्स0 आरमोरर	04	05	01
12.	हे0का0 परिवहन	06	07	01
13.	चतुर्थ श्रेणी	13	14	01
14.	उ0नि0 अभिसूचना इकाई	020	22	02
15.	कान्स0 अभिसूचना इकाई	24	37	13
16.	कान्स0 जल पुलिस	04	07	03
17.	कान्स0घुडसवार	10	16	06
18.	सईस घुडसवार	05	06	01
19.	कान्स0 श्वान दल	00	06	06
योग		690	993	303

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त आपत्ति के सम्बंध में इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि देहरादून राज्य की राजधानी है, यहां पर आये दिन जुलूस, प्रदर्शन धरना, महानुभावों/न्यायाधीशगणों का आवागमन बना रहता है, साथ ही देहरादून शहर की बढ़ती जनसंख्या व स्थापित संस्थानों व फैक्ट्रीयों में मजदूर/कर्मियों के बीच मारपीट तनाव व पूरे शहर में अपराध व शांति व्यवस्था को नियंत्रित किये जाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है। चूंकि स्वीकृत नियतन काफी पुराना है। इसके अतिरिक्त नियतन से अधिक पुलिस बल स्थायी नहीं है. विगत दिनों महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, जनपद देहरादून, आगमन, पीक यात्रा सीजन होने व हरिद्वार में कावेड मेला होने के कारण जनपद देहरादून से बाहर के जनपदों/इकाईयों में स्थानान्तरणाधीन कर्मियों को कार्यमुक्त नहीं किया गयी है। स्वीकृत नियतन में से कुछ पद प्रतियुक्त व सम्बद्धता पर जनपद से बाहर इकाईयों में नियुक्त चल रहे है। इकाई का उत्तर साक्ष्यों के अभाव में मान्य नहीं है, यदि स्वीकृति के सापेक्ष 303- अधिकारी/कर्मचारी की जनपद देहरादून में आवश्यकता है, तो स्वीकृत नियतन शासन/मुख्यालय से विधिवत संशोधित किया जाना चाहिए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> विभाग को गुमराह कर आवास खाली न करने के बावजूद आवास किराया भत्ता का अनियमित भुगतान रू 14400 किया जाना।

कार्यालय के आवास आंवटन एवं खाली करने सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन देहरादून ने पत्र संख्या आर आई आवास/2017 दिनांक 11 अर्पैल 2017 द्वारा श्री प्रभाकर सिह विष्ट एस आई एम को अवगत कराया था कि आपका स्थानान्तरण गैर जनपद में होने के कारण पुरानी पुलिस लाइन देहरादून में सरकारी आवास संख्या -15 टाइप तृतीय को खाली नही किया गया है। बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से आवास पर कब्जा किये है। नोटिस प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर आवास खाली करने एवं स्टोर में चाभी जमा करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु पत्रावली में आवास खाली करने सम्बन्धी कोई अभिलेख नही पाया गया था। दिनांक 10/03/17 को श्री भगवान सिंह निरीक्षक एम द्वारा भी अवगत कराया गया था कि श्री प्रभाकर सिंह विष्ट एस आई एम द्वारा उक्त आवास खाली न करने के कारण हस्तगत नही किया गया है। जबकि श्री प्रभाकर दिनांक 23.12.16 को नैनीताल परिक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

आगे जांच में यह भी पाया गया है कि श्री प्रभाकर सिंह विष्ट एस आई एम द्वारा मार्च 2017 से कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमाउ परिक्षेत्र नैनीताल से मकान किराया भत्ता का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने इकाई ने उत्तर में कहा है कि जांच कर कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नही है कि श्री प्रभाकर सिंह विष्ट एस आई एम का स्थानान्तरण परिक्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल में होने पर प्रतिसार निरीक्षिक द्वारा अप्रैल 2017 में आवास खाली करने हेतु पत्राचार किये जाने के बावजूद मार्च 2017 से आज तक बिना आवास खाली किये ही किराया का भुगतान किया जा रहा था जो कि गभीर वित्तीय अनियमित को दर्शाता है।

अतः विभाग को गुमराह कर आवास खाली न करने के बावजूद आवास किराया भत्ता का अनियमित भुगतान रू 14400 किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
27/2015-16	-	1,2	'

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या अप्रस्तुत				

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- **कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब मे
1.	श्री पुष्पकज्योति	पुलिस महानिरीक्षक, एस0एस0पी0	15.12.2014	08.10.2015
2.	श्री सदानन्द शंकर राव दाते	आई0पी0एस0, एस0एस0पी0	01.10.2015	01.01.2016
3.	सुश्री स्वीटी अग्रवाल	आई0पी0एस0, एस0एस0पी0	01.01.2016	16.05.2015
4.	श्रीमती निवेदिता कुकरेती कुमार	आई0पी0एस0, एस0एस0पी0	10.05.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र